न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—264/2012/75 एल.आर.एक्ट (2012/264)

1. लादूराम पुत्र श्री उगमा जाति गुर्जर
2. छोटूलाल पुत्र श्री उगमा जाति जाट
3. घासी पुत्र श्री जेठू जाति गुर्जर
4. मोहन लाल श्री हगामी लाल जाति खाती
5. छगना पुत्र श्री सुखा जाति जाट
6. कुनणमल पुत्र श्री रामचन्द्र जाति जाट
   सभी निवासीगण हियालिया तहसील भिनाय जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, भिनाय जिला अजमेर।
2. सुखदेव पुत्र श्री उदयराम जाति रावत निवासी बनेडिया तहसील भिनाय जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्ध आदेश शिविर प्रभारी अधिकारी दिनांक 20.02.2008 प्रकरण राजस्व अभियान 08/1055 में पारित।

उपस्थितः—

1. श्री पी0एस0नरूका अभिभाषक अपीलांट
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 1
3. रेस्पोडेंट संख्या 2 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—29.12.2025

1. यह अपील शिविर प्रभारी अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.02.2008 जो प्रकरण राजस्व अभियान 08/1055 में पारित किया जिसके विरूद्ध उक्त अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या 1 के प्रार्थना पत्र पर राजस्व अभियान 2008 कैम्प पाडलिया में शिविर प्रभारी अधिकारी ने ग्राम हियालिया के खसरा नम्बर 8 रकबा 24.43 है0 किस्म चारागाह में से 0.01 है0 भूमि का आवंटन rajasthan land revenue (allotment of land digging of wells and installing of pumping sets for irrigation purposes) rules 1979 के तहत करने का आदेश प्रदान कर दिया। अपीलांट्स ग्राम हियालिया के निवासी हैं एवं चारागाह भूमि में समस्त ग्रामवासियों का हित निहित होता है। अपीलांट्स का भी हित निहित होने से चारागाह भूमि का आवंटन आदेश दिनांक 20.02.2008 के विरूद्ध यह अपील न्यायालय में प्रस्तुत

की गई है। अतः अपील शिविर प्रभारी अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.02.2008 जो प्रकरण राजस्व अभियान 08/1055 में पारित किया गया से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 2 अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 96 सीपीसी पर निवदेन किया कि ग्राम हियालिया के खसरा नम्बर 308 रकबा 24.43 किस्म चारागाह में से 0.01 गैर मुमकिन चाह का आवंटन अप्रार्थी को गैर कानूनी रूप से किया गया है क्योंकि चारागाह भूमि का किसी को भी आवंटन नहीं किया जा सकता। चारागाह भूमि में सभी ग्रामवासियों का हित निहित होने से प्रार्थीगण को आवंटन के विरूद्ध कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त है अतः चारागाह भूमि में किये गए आवंटन में प्रार्थीगण का हित निहित होने से प्रार्थीगण को अपील प्रस्तुत किए जाने की अनुमति प्रदान किया जाना न्यायोचित है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 सीपीसी के तहत अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 के दौराने जवाब/बहस में कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा कहे गए कथन विरोधाभासी है एंव प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किए जो सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते हैं। अपीलार्थी व्यथित व हितबद्ध पक्षकार की श्रेणी में नहीं होने से उसे पक्षकार संयोजित नहीं किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी जाकर प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया गया कि ग्राम हियालिया के खसरा नम्बर 308 रकबा 24.43 किस्म चारागाह में से 0.01 गैर मुमकिन चाह का आवंटन अप्रार्थी को गैर कानूनी रूप से किया गया है क्योंकि चारागाह भूमि का किसी को भी आवंटन नहीं किया जा सकता। चारागाह भूमि में सभी ग्रामवासियों का हित निहित होने से प्रार्थीगण को आवंटन के विरूद्ध कार्यवाही करने का अधिकार प्राप्त है।

प्रार्थी सुखदेव द्वारा धारा 9 के अंतर्गत भूमि आवंटन के लिए उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसके तहत सुखदेव पि0 उदयराम कौम रावत को ग्राम हियालिया तहसील भिनाय खाता संख्या 309 खसरा नम्बर 8 गै0मु0 चारागाह रकबा 28.43 है0, आवंटन हेतु चाही गई भूमि 0.01 है0 गै0मु0 चाह। उक्त आवंटन

हेतु पटवारी हल्का की रिपोर्ट भी प्रस्तुत है तथा पटवारी हल्का द्वारा स्वयं मौके पर जाकर उक्त आराजीयात का निरीक्षण किया गया है तथा उक्त आराजीयात के आवंटन के लिए ग्राम पंचायत एकलसिंघा द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है। इन समस्त कार्यवाही में अपीलांट्स व उनके पूर्वजों का उपखण्ड कार्यालय द्वारा जारी किसी भी पत्र में या पटवारी हल्का द्वारा किए गए निरीक्षण में कहीं कोई उल्लेख नहीं है तथा उक्त आवंटन आदेश में आवंटित की गई भूमि अपीलांट्स या उनके पूर्वज की रही हो इस बाबत भी उनके द्वारा किसी प्रकार की कोई जमाबंदी/दस्तावेजात भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए है।

अपीलांट शिविर प्रभारी अधिकारी के समक्ष पक्षकार ही नहीं थे तो किस आधार पर उनके हक अधिकार प्रभावित हो रहे है या वे उक्त आवंटन आदेश से किस प्रकार पीडित है। चूंकि यह प्रार्थी पर निर्भर करता है कि यदि वह किसी प्रकार से पीडित है तो न्यायालय के समक्ष अपील दायर कर अपना उपचार मांग सकता है परंतु अपीलांट के उक्त आराजीयात बाबत किस प्रकार से हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है, अपीलांट न्यायालय हाजा के समक्ष यह साबित नहीं कर पाए है, केवल प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों के आधार पर अपीलांट को हितबद्ध पक्षकार नहीं माना जा सकता है।

चूंकि अपीलांट यह नहीं बता पाए हैं कि उनके द्वारा न्यायालय हाजा में किन आधारों पर अपील प्रस्तुत की गई है। शिविर प्रभारी अधिकारी द्वारा पारित आवंटन आदेश से उनके किस प्रकार से हित प्रभावित हुए है या वह किस प्रकार से वर्तमान प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार की श्रेणी में आते है। इस बाबत अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से वह बताने में असमर्थ रहे है। चूंकि शिविर प्रभारी अधिकारी द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 20.02.2008 में अपीलांट्स पक्षकार ही संयोजित नहीं थे तथा आवंटित की गई भूमि की शर्तों का पालन किए जाने बाबत भी अपीलांट को शिविर प्रभारी अधिकारी द्वारा कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं ना ही वे उक्त शर्तों का पालन करने के लिए बाध्य हैं तो वे उक्त आदेश के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने के अधिकारी नहीं है। चूंकि अपीलांट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 में ऐसे कोई समुचित कारण अंकित नहीं किए है व ना ही किसी प्रकार के कोई समुचित राजस्व दस्तावेजात प्रस्तुत किए हैं, जिससे वह पीडित व व्यथित पक्षकार की श्रेणी में आते हो।

हमारे द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक नजीर का ससम्मान अवलोकन किया गया।

2020 आर0बी0जे0 पेज 569

सिविल प्रक्रिया संहिता 1908– धारा 96–: *जब अपीलांट यह बताने में असमर्थ रहे कि निर्णय का उन पर किस प्रकार से विपरीत प्रभाव पडेगा जिसके कारण से वह व्यथित व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं, व आदेश के खिलाफ अपील करने के अधिकारी है, अपीलांट व्यथित व्यक्ति की श्रेणी में नहीं आते है इस कारण अपील करने के दिया गया उनका प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया।*

अवलोकन किए जाने के पश्चात उक्त न्यायिक नजीर प्रस्तुत प्रकरण में पूर्णरूप से चस्पा होने से अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील इसी स्तर पर खारिज किए जाने योग्य है।

अतः अपीलांट का प्रस्तुत अपील में किसी भी तरह से विधिक अधिकार नहीं होने से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 जा.दी.खारिज कर उन्हें उक्त प्रकरण में पक्षकार संयोजित नहीं कर अपील प्रस्तुतीकरण की अनुमति प्रदान नहीं की जाती है।

7. अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जा0दी0 खारिज किए जाने से उक्त अपील भी इसी स्तर पर खारिज की जाती है, तथा शिविर प्रभारी अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.02. 2008 प्रकरण राजस्व अभियान 08/1055 में पारित आदेश को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 29.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर